जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 21.11.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01** वारण्टी नाम पता कन्हैया पुत्र श्रीराम निवासी परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विजय कुमार सिंह, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना घनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 250 वाहनों से 2,73,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 250 वाहनों से 2,73,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बालिका के साथ दुष्कर्म व मारपीट करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 895/24 धारा 69,351(2),352 बीएनएस के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता संदीप अग्रहरी पुत्र परशुराम अग्रहरी निवासी गंगा देवरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को तितौवा क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त के द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व मारपीट करने के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दिनांक 20.11.2024 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 21.11.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव,हे0 का0 अनिल सिंह।

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को 01 अदद नजायज चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार

जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व मे आज दिनांक 21.11.2024 को राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के सामने से अभियुक्त राम अशीष यादव पुत्र राम सवारे यादव निवासी विशयाहन्नु थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को 01 अदद चाकू नजायज के साथ गिरफ्तार किया गया है । उक्त गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 891/2024 धारा 118(1),351(3),352,109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

राम अशीष यादव पुत्र राम सवारे यादव निवासी विशयाहन्नु थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर ।

कुल बरामदगी-

01 अदद नजायज चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

उ0नि0 श्री शम्भुराम यादव,उ0नि0 राजकुमार पटेल,का0 अनिल यादव ।